UPSD010018652026

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/बाल न्यायालय सिद्धार्थनगर।

फौजदारी अपील संख्या-----------४३/२०२६

बाल अपचारी पुत्र लहरी, निवासी ग्राम सोनौली नानकार, टोला सीकरीडीह, थाना मिश्रौलिया, जिला-सिद्धार्थनगर द्वारा माता/संरक्षिका लातावती पत्नी लहरी -----**अपीलार्थी**

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ------**विपक्षी**

मुकदमा अपराध संख्या-१६२/२०२५

अन्तर्गत धारा-७०(१),३५१(३),३(५) बी.एन.एस. व ३(२)(५) एस.सी./एस.टी. व ६७ आई.टी. एक्ट

थाना-मिश्रौलिया, **जिला**-सिद्धार्थनगर

निर्णय

१- प्रस्तुत फौजदारी अपील, अपीलार्थी/किशोर अपचारी की ओर से जरिये संरक्षिका/माता लातावती किशोर न्याय बोर्ड के जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिनांकित २८.०४.२०२६ से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

२- अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा/पीड़िता पत्नी हरीश कन्नौजिया का कथन है कि "उसकी उम्र २२ वर्ष है। वह विकाश यादव पुत्र तिलकराम यादव से बातचीत करती थी। दिनांक १२.११.२०२५ को विकाश यादव उसके घर सोनौली नानकार घर के पीछे धोखे से बात करने के लिए बुलाया और बोला कि यदि तुम नहीं आयोगी तो वह तुम्हारे घर आ जायेगा। डरवश वह गयी तो विकास व उसके मित्र जग्गी पुत्र उदयराज ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया। विकाश व जग्गी अपने अन्य मित्रों को फोन करके बुला लिये, वे लोग आकर उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किये व उसका वीडियो बना लिया और कहे कि किसी से कही तो जान से मार देंगे। अतः उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।"

३- अपीलार्थी/संरक्षिका की ओर से अपील में यह आधार लिया गया है कि, न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सरसरी तौर पर बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बाल अपचारी का जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। बाल अपचारी सर्वथा निर्दोष है महज हैरान व परेशान करने के लिए झूठा फँसा दिया गया है। बाल अपचारी द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। सम्पूर्ण अभियोजन कथानक सरासर झूठा व मनगढ़न्त है, जिसमें कोई सच्चाई नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से दर्ज कराने का कोई कारण स्पष्ट नही है, जिससे तथाकथित घटना संदिग्ध व झूठी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार तथाकथित पीडिता ने किसी बाल अपचारी को तथाकथित घटना में सम्मिलित होना नही बताया था। पुलिस ने जबरदस्ती दबाव डालकर बाल अपचारी का नाम संलिप्त किया है। तथाकथित पीडिता लगभग २४ वर्ष की विवाहित महिला है और बाल अपचारी, जो अबोध बालक है, जिसकी उम्र लगभग १२ वर्ष १० माह

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR
Date: 2026.07.06 17:36:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथाकथित घटना के समय १२ वर्ष १० माह का है। किसी भी बाल अपचारी द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है तथाकथित पीड़िता अपने भाई सुनील के कहने पर झूठा मुकदमा बाल अपचरी के विरूद्ध दर्ज करा दी है, जिसमें कोई सच्चाई नही है। बाल अपचारी बहुत गरीब तथा पढ़ने लिखने वाला छोटा बच्चा है, जिसके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। तथाकथित पीड़िता के धारा–१८० बी.एन.एस.एस. के बयान व धारा–१८३ बी.एन.एस.एस. के बयान में विरोधाभास है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता घटना को घर के पीछे बतायी है, जबकि धारा–१८० बी.एन.एस.एस. व १८३ बी.एन.एस.एस. के बयान में घटना को जंगल में रात १०.३० की बतायी है। इस प्रकार तथाकथित घटना झूठी व मनगढ़न्त तथा संदिग्ध है। बाल अपचारी सीधा–सादा बहुत गरीब व्यक्ति है, किसी तरह गरीबी की हालत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नही है न ही घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी है। यह कि तथाकथित घटना के सम्बन्ध में तथाकथित पीड़िता के माता–माता तथा पति ने कोई साक्ष्य नही दिया है। तथाकथित घटना से बाल अपचारी का कोई वास्ता सरोकार नही है, महज हैरान व परेशान करने के लिए झूठा फंसा दिया गया है। बाल अपचारी के मफरूरी का कोई अन्देशा नहीं है। बाल अपचारी न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। बाल अपचारी अभियोजन साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा। बाल अपचारी का यह प्रथम अपील जमानत प्रार्थना–पत्र है, इस अपील जमानत प्रार्थना–पत्र के अलावा कोई अन्य अपील जमानत प्रार्थना–पत्र श्रीमान् जी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो दाखिल किया गया है, न विचाराधीन है। अतः किशोर अपचारी की अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड सिद्धार्थनगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक ०८.०५.२०२६ निरस्त करते हुए उसको जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

४– राज्य की ओर से मौखिक रूप से आपत्ति की गयी है तथा वादिनी मुकदमा पर नोटिस बजाज खास तामील है।

५– मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो के तर्कों को सुना गया व किशोर न्याय बोर्ड से आहूत पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

६– अपीलार्थी/संरक्षिका की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी है कि बाल अपचारी निर्दोष है, उसे मनगढ़न्त कथनों के आधार पर इस मामले में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। बाल अपचारी पीडिता के साथ कोई बुरा काम नहीं किया है। कोई स्वतंत्र एवं माकूल साक्ष्य नहीं है। बाल अपचारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी बहस की गयी है कि धारा–१२ किशोर न्याय अधिनियम, २०१५ के अन्तर्गत प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं है कि बाल अपचारी जमानत पर रिहा होने पर ज्ञात–अज्ञात अपराधियों की संगत में पड़ेगा अथवा अपने घरवालों के नियन्त्रण में नहीं रहेगा। यह भी बहस की गयी है कि धारा–१२ किशोर न्याय अधिनियम, २०१५ के अन्तर्गत अपराध की गम्भीरता पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में धारा–१२ किशोर न्याय अधिनियम को विचार में रखते हुए बाल अपचारी जमानत पाने का अधिकारी है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

७– राज्य/अभियोगी की ओर से उपरोक्त बहस का विरोध किया गया, और यह बहस की गयी कि बाल अपचारी द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी अश्लील वीडियो बनायी गयी तथा उसे जान से मारने की धमकी दी गयी। बाल अपचारी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। बाल अपचारी जमानत पर छूटने पर पुनः अपराध

में संलिप्त हो जायेगा। जमानत पर छोड़े जाने पर ज्ञात अपराधियों की संगत में आने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में बाल अपचारी की जमानत हेतु पर्याप्त आधार नहीं है तथा अपील खारिज किये जाने योग्य है।

८– **धारा–१२ किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, २०१५ में उपबन्धित है किः–**

९– "(१) जब कोई व्यक्ति, जो प्रकट रूप से बालक है और जिसे जमानतीय अथवा अजमानतीय अपराध कारित करने के लिए अभिकथित किया गया हो, पुलिस द्वारा गिरफ्तार अथवा निरूद्ध किया जाता है अथवा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होता है, लाया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति को दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिभू सहित अथवा रहित जमानत पर निर्मुक्त किया जाएगा अथवा परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल के अधीन रखा जाएगा।

१०– परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति को निर्मुक्त नहीं किया जाएगा, यदि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार होना प्रतीत होता है, कि निर्मुक्ति उस व्यक्ति को किसी ज्ञात अपराधी के साहचर्य में लाने के लिए अथवा उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने के लिए सम्भाव्य है अथवा उस व्यक्ति की निर्मुक्ति न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी और बोर्ड जमानत को स्वीकार करने के लिए कारण तथा उन परिस्थितियों को, जो ऐसे निर्णय को अग्रसर करती है, अभिलिखित करेगा।"

११– मैंने किशोर न्याय बोर्ड से आहूत पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या के अनुसार, किशोर अपचारी की मानसिक स्थिति किशोरावस्था के अनुरूप सामान्य है तथा परिवार के सदस्यों का आपस में सम्बन्ध में मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बताया गया है तथा परिवार पर पूर्व में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना बताया गया है। साथ ही बालक की ध्रूमपान, शराब का सेवन, स्वापक का प्रयोग, जुआ खेलना भीख मांगने जैसी कोई भी आदत नहीं होना बताया है। किशोर अपचारी कक्षा ०५ तक पढ़ना बताया है। तथाकथित अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका में अंकित किया गया है कि अभिभावक व ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि किशोर अपने मित्रों के साथ गांव में गया था, गांव की लड़की किसी दूसरे गांव के लड़के से मिलने गई थी, मिलते समय गांव के लड़के एवं किशोर देख लेते हैं, लड़की द्वारा किशोर एवं उसके मित्रों से कहा कि गांव में किसी को बताना नहीं, अगर बता दिये तो तुम लोगों को फंसा दूंगी, लेकिन किशोर एवं गांव के लड़कों द्वारा गांव में बता दिया, उसी कारण किशोर और उसके मित्रों पर लड़की के परिवार वालों ने मुकदमा दर्ज करा दिया। इस प्रकार जिला प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट के परिशीलन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि यदि बाल अपचारी को जमानत पर मुक्त किया जाता है तो वह किसी ज्ञात अपराधी की संगत में आ जायेगा अथवा उससे वह नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जायेगा अथवा यह कि उसकी मुक्ति से न्याय के उद्देश्य विफल हो जायेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि किशोर अपचारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत मामले में किशोर अपचारी को दिनांक १३.०१.२०२६ को किशोर अपचारी घोषित किया गया है। किशोर अपचारी दिनांक २८.११.२०२५ से राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्ध है।

१२–   इस सम्बन्ध में मैं निम्न निर्णयज विधि का उल्लेख करना चाहूंगा।

(१)–आपराधिक पुनरीक्षण संख्या–२३२४/२०१४

मोबिन–बनाम–स्टेट ऑफ यू.पी. निर्णीत दिनांकित २४.०३.२०१५ इलाहाबाद

(२)जितेन्द्र–बनाम–स्टेट ऑफ यू.पी., २०१४ जे.आी.सी. (३) ४७९ इलाहाबाद

(३)–आपराधिक पुनरीक्षण सं०–१८६८/२०१४ शब्बीर–बनाम–राज्य उत्तर प्रदेश निर्णीत दिनांकित १९.०८.२०४, इलाहाबाद।

१३–   उपरोक्त निर्णयज विधियों के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने धारा–१२ किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत पर्याप्त आधार पाते हुए किशोर अपचारी को उसके संरक्षिका की सुपर्दगी में जमानत पर रिहा करने हेतु न्यायसंगत आधार पाये गये। उपरोक्त निर्णयज विधियों में दी गयी विधि व्यवस्था के आधार पर भी विद्वान किशोर न्याय बोर्ड की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर किशोर अपचारी के ज्ञात अथवा अज्ञात अपराधियों की संगत में पड़ने अथवा न्याय का उद्देश्य विफल होने की सम्भावना है। मंगलेश राजभर–बनाम–स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य २०१८(२) जे.आई.सी. ३५९ इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामले में यह धारित किया गया है कि–Bail is the rule in the cases of juvenile–Burden is on the prosecution to show that on the parameters specified in the proviso to section 12(1) of the J. J. Act bail should be denied to Juvenile.

१४–   किशोर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि यदि बाल अपचारी को जमानत पर मुक्त किया जाता है तो वह किसी ज्ञात–अज्ञात अपराधी की संगत में आ जायेगा अथवा उससे वह नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जायेगा अथवा यह कि उसकी मुक्ति से न्याय के उद्देश्य विफल हो जायेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि किशोर अपचारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। किशोर अपचारी दिनांक २८.११.२०२५ से बाल सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्ध है। न्यायायलय किशोर न्याय बोर्ड, सिद्धार्थनगर द्वारा अपने आदेश में अभियुक्त/बाल अपचारी की जमानत खारिज करने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है, न ही उनके द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया है। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा दी गयी आख्या का सम्यक अवलोकन नहीं किया गया है, न ही उस पर अपना कोई मत दिया गया है। मात्र सरसरी तौर पर जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त कर दिया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के पश्चात मैं इस मत का हूँ कि किशोर अपचारी को उसके संरक्षिका की सुपुर्दगी में जमानत पर सशर्त रिहा किये जाने के लिए पर्याप्त आधार है।

१५–   उपरोक्त सम्प्रेक्षण के आधार पर धारा–१२ किशोर न्याय अधिनियम २०१५ व उपरोक्त विधिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए आलोच्य आदेश दिनांक २८.०४.२०२६ तथ्यों, साक्ष्य एवं विधि पर आधारित नहीं है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

१६–   किशोर अपचारी की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या–४३/२०२६ स्वीकार की जाती है। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित २८.०४.२०२६ अपास्त किया जाता है तथा किशोर अपचारी को उसकी माता/संरक्षिका द्वारा मु०–७०,०००/–(सत्तर हजार) रूपये

का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित प्रधान मजिस्ट्रेट/किशोर न्याय बोर्ड की सन्तुष्टि में दाखिल करने व इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने पर कि किशोर अपचारी के जमानत पर छूटने के पश्चात वह उसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से दूर रखेगी तथा प्रत्येक नियत दिनांक पर उसे किशोर न्याय बोर्ड सिद्धार्थनगर के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगी और विचारण में सहयोग करेगी, प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाय। इस निर्णय की एक प्रति अनुपालनार्थ किशोर न्याय बोर्ड, सिद्धार्थनगर को प्रेषित की जावे।

(बीरेन्द्र कुमार)

दिनांक–०६.०७.२०२६

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, सिद्धार्थनगर।
जे.ओ. कोड---यू.पी. ६४६३